न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 416/2015

वादी :-	बनाम	प्रतिवादी :-
1. हनुमानराम पुत्र स्व. नाथूराम जाति-आचार्य, निवासी-बलून्दा, तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)		1. तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.01.09.2015

उपस्थितः- 1. श्री श्यामलाल तंवर, अधिवक्ता, वादी।
2. तहसीलदार, जैतारण उपस्थित।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 12/12/2015

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-बलून्दा, पटवार हल्का-बलून्दा, तहसील-जैतारण में खसरा नम्बर 767, 796, 1286, 1727, 1728, 1729, 1734, 1736 कुल किता-8 कुल रकबा 31-07 बीघा किस्म बारानी अव्वल की आई हुई हैं। जिसमें वादी अपने हक हिस्से की भूमि पर माफिक हिस्सेनुसार काश्त करता आ रहा हैं एवं मौके पर काबिज हैं। नकल जमाबन्दी साथ पेश की हैं। जिसे वाद का एक भाग माना जावें। उक्त वर्णित भूमि वादी की पैतृक व पुश्तैनी खातेदारी कब्जे काश्त की हैं। वादी के पिता की मृत्यु के समय वादी नाबालिग था, तब म्यूटेशन भरा गया। उसमें उसका नाम ओम के नाम से भरा गया, जो कि गलत भरा गया था। वादी के परिचय पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड व अन्य समस्त दस्तावेजात में हनुमानराम लिखा हुआ हैं, सही एवं वास्तविक नाम का वादी का हनुमानराम हैं। वादी का भाई पारस नावल्द फौत हो गया। जिसका म्यूटेशन भरवाने के लिय पटवारी हल्का के पास गया तो पटवारी ने कहा कि राजस्व रेकर्ड में तुम्हारा नाम ओम लिखा हुआ हैं, तो मैंने कहा कि आप शुद्धि-पत्र भरकर नाम दुरूस्त कर दो। लेकिन पटवारी ने कहा कि सक्षम न्यायालय के आदेश लाने पर ही तुम्हारा नाम सही दर्ज किया जा सकता हैं। इसलिए यह वाद वादी की ओर से विरूद्ध प्रतिवादी के घोषणा का श्रीमान के समक्ष सादर प्रस्तुत हैं। अगर राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम ओम ही दर्ज रहता हैं तो वादी को अपने जायज हक व अधिकारों से महरूम होना पड़ेगा एवं वादी को असीम हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं होगी। इसलिए यह वाद रेकर्ड दुरूस्ती का श्रीमान् के समक्ष सादर प्रस्तुत हैं। उक्त वर्णित भूमि के अन्य सहखातेदारान् से किसी प्रकार की कोई रिलीफ नहीं होने से उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया हैं एवं तहसीलदार, जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार होने से प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया हैं। बिनायवाद दिनांक 16/08/2015 को पटवारी हल्का बलून्दा के पास भाई पारस का फैतेदगी म्यूटेशन भराने गया। तब पटवारी द्वारा राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम ओम लिखा हुआ होने का कहने व राजस्व रेकर्ड की नकलें लेने पर बमुकाम-बलून्दा, तहसील-जैतारण में पैदा हुआ, जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में होने से अन्दर म्याद यह वाद श्रीमान् के समक्ष सादर प्रस्तुत हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी ने जाहिर किया हैं कि ओमा नाम गलत इन्द्राज किया गया हैं। उक्त विवादित आराजी की भूमि में वादी का नाम ओम पुत्र नाथू दर्ज गलत नाम के स्थान पर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी का वास्तविक नाम हनुमानराम पुत्र नाथूराम जाति–आचार्य दुरूस्त दर्ज किये जाने की स्वीकारोक्ति दी हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्तावेजात अनुसार ओम गलत रूप से दर्ज होना तथा वादी का वास्तविक नाम हनुमानराम पुत्र नाथूराम होना बखूबी साबित हैं। जिससे वादी का वाद माफिक तहसीलदार, जैतारण के कथन एवं साक्ष्य सबूत राशन कार्ड संख्या 1295, परिचय पत्र संख्या RJ/21/159/219432, आधार कार्ड संख्या 619031504306 एवं वादी स्वयं तथा गवाह भंवरलाल पुत्र गुलाबराम आचार्य का तस्दीक सुदा शपथ–पत्र के अनुसार वाद स्वीकार किया जाना तथा वादी के गलत दर्ज नाम ओम जाति–आचार्य, निवासी–बलून्दा के स्थान पर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वास्तविक सही नाम हनुमानराम पुत्र नाथूराम दुरूस्त करवाया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–बलून्दा, पटवार हल्का–बलून्दा, तहसील–जैतारण में खसरा नम्बर 767, 796, 1286, 1727, 1728, 1729, 1734, 1736 कुल किता–8 कुल रकबा 31–07 बीघा किस्म बारानी अव्वल की भूमि में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के गलत दर्ज नाम ओम पुत्र नाथू के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम हनुमानराम पुत्र नाथूराम दुरूस्त रूप से दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 12/12/2015 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

वादी :- बनाम प्रतिवादी :-

1. हनुमानराम पुत्र स्व. नाथूराम
   जाति-आचार्य, निवासी-बलून्दा,
   तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

1. तहसीलदार, जैतारण
   लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 416/2015

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री श्यामलाल तंवर, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-बलून्दा, पटवार हल्का-बलून्दा, तहसील-जैतारण में खसरा नम्बर 767, 796, 1286, 1727, 1728, 1729, 1734, 1736 कुल किता-8 कुल रकबा 31-07 बीघा किस्म बारानी अव्वल की भूमि में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के गलत दर्ज नाम ओम पुत्र नाथू के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम हनुमानराम पुत्र नाथूराम दुरूस्त रूप से दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 12/12/2015 को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
(जिला-पाली)

मोहर

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	-	-	महनताना वकील		
महनताना वकील	-	-	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	02	00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
			मिजानः-		

मिजानः-

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner